उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल
डेवलपमेन्ट एथॉरिटी

UPSIDA

परियोजना कार्यालय, यूपीसीडा लखनऊ
(एक्स–लीडा)
एच0आई0जी0 64–65 सेक्टर–डी, मानसरोवर कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ–226012
दूरभाष : 0522–2435514
फैक्स : 0522–4070404

सेवा में,

मेसर्स एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0
द्वितीय तल, विभूति खण्ड (मण्डी परिषद के सामने)
गोमती नगर, लखनऊ–226010

परियोजना कार्यालय यूपीसीडा एक्स–लीडा की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र

संदर्भ सं0 347 यूपीसीडा/परि0 कार्या0/एक्स–लीडा/336 दिनांक 20-10-2022

मेसर्स एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 का मानचित्र ग्राम चन्द्रावल, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ में भूखण्ड सं0 जी0एच0–01 (साउथ ब्लाक) का ले–आउट प्लान अनुज्ञा पत्र सं0 718 दिनांक 27.02.2018 को स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त योजना का स्थल निरीक्षण श्री बी0एन0 श्रीवास्तव सहायक प्रबन्धक परियोजना द्वारा कर लिया गया है, जो प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः पूर्णता प्रमाण–पत्र निम्नाकित प्रतिबन्धों के अधीन जारी किया जाता है:–

1. योजना के अंतर्गत किये गये अवस्थापना सुविधाओं का रख–रखाव तथा संचालन विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा। टाउनशिप नगर निगम /रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोशिएशन को हस्तगत करने तक समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। इन अवस्थापना सुविधाओं की कमी या शिकायत प्राप्त होने पर उनका निस्तारण भी पूर्ण कराया जाना विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी।
2. आवंटन की प्रक्रिया नियमानुसार विकासकर्ता द्वारा पूर्ण की जायेगी। भू–विन्यास मानचित्र में प्रस्तावित भूखण्डों में निर्माण की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र अलग से प्राप्त करना होगा।
3. विकासकर्ता द्वारा अनुज्ञा पत्र अनुज्ञा पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तो का भी पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. विस्तारित टाउनशिप हेतु कोई अन्य देयता अथवा ब्याज भविष्य में पायी जाती/निर्धारित होती है तो बिना किसी विवाद के विकासकर्ता का प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।
5. योजना के अंतर्गत सार्वजनिक अवस्थापना सुविधाओं हेतु निर्धारित भूमि स्कूल, कम्युनिटी सेन्टर, पोस्ट आफिस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एसटीपी, कूडा निस्तारण प्रबन्धन की व्यवस्था, सुविधाजनक दुकानें आदि जो तलपट मानचित्र में प्रस्तावित है, को पूर्णरूप से विकसित कर निर्धारित उपयोग हेतु आवंटित कर कार्य सम्पादित कराना

Scanned with CamScanner

विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी, जिसकी स्वीकृति एंव पूर्णता प्रमाण पत्र अलग से विकासकर्ता को प्राप्त करना होगा।

6. योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अन्य समस्त कियाओं/भूखण्डों पर निर्माणों से संबंधित भवन मानचित्र अलग से स्वीकृत कराकर ही निर्माण कराया जाना होगा।

भवदीय,

Meena
20/10/2022

(मीना भार्गव)
महाप्रबन्धक (वास्तु/नियो0)

संदर्भ सं0 यूपीसीडा/परि0 कार्या0/एक्स–लीडा/336 दिनांक

प्रतिलिपि–अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा मुख्यालय कानपुर।

/
(मीना भार्गव)
महाप्रबन्धक (वास्तु/नियो0)

Scanned with CamScanner